II / निग0 / अमरिया / 2018 / 01345 (15)

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 की सर्किल कोर्ट रीवा म0प्र0

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

+ 10 -

1. मो0 इसराक पिता स्व0 कुतुबुदीन मुसलमान
2. मंजूर मोहम्मद पिता श्री सफी मोहम्मद मुसलमान

दोनो निवासी ग्राम राघवपुर तहसील करकेली जिला उमरिया म0प्र0

.... आवेदकगण

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. भूरा बैगा पिता स्व0 चुनका बैगा
3. बदरू बैगा पिता स्व0 चुनका बैगा
4. छल्ला बैगा पिता बुदरू बैगा

अनावेदक क्र0 02 ता 04 सभी निवासी ग्राम राघोपुर तहसील करकेली जिला उमरिया म0प्र0

.... अनावेदकगण

अधि0श्री जे. पी. मिश्रा द्वारा पेश / 23-02-18

निगरानी विरूद्ध कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्र0 03 / स्व0पुन / 2016—17 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 जिसके तहत प्रकरण क्र0 332 / 1958 से इन्तजाम की मंजूरी दिनांक 29.01.1959 को शासन दर्ज करने के आदेश की

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

आवेदकगण विनम्र निवेदन करते है :—

यह कि ग्राम राघोपुर तहसील बॉधवगढ स्थित आराजी खसरा नं. 32 / 3 रकवा 2.00 एकड़ में अनवोदक क्र0 02 से 04 के द्वारा अवैध कब्जा किया जाने आवेदकगण ने तहसीलदार करकेली जिला उमरिया के न्यायालय में धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत बेदखली की कार्यवाही करते हुये दिनांक 27.07.2017 को स्थगन आदेश जारी कराया जिस पर आधारित करते हुये अनावेदक क्र0 02 से 04 ने कलेक्टर उमरिया के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर आवेदकगण के पूर्व स्व0 समसुद्दीन का रीवा राज्य शासन काल से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2018/1345 मो. इसराक विरूद्ध शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 07-09-2018 को निगरानीकर्ता मो. इसरामक के अभिभाषक श्री जे.पी. मिश्रा को सुना गया । अधीनस्थ कलेक्टर उमरिया के आदेश दिनांक 27-11-2017 का अध्ययन किया गया । 2. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पैरा (6) अनुसार ग्राम राघोपुर आराजी नंबर 32/1 रकबा 9.032 भूमि किस्म जंगल दर्ज है, जिस पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय करने के अधिकार किसी राजस्व अधिकारी को नहीं है और न ही उसकी नोईयत परिवर्तित की जा सकती है । 3. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में ही कलेक्टर के द्वारा आदेश दिनांक 27-11-2017 से " राघौपुर स्थित आ.नं. 32/3 रकबा 0.809 हे. समसुद्दीन व समसेर नि. राघौपुर के नाम की दर्ज प्रविष्टि सहित आ.नं. 32/3क रकबा 0.404 हे. मु. गफूरन बेबा कुतबुद्दीन, इसराद मो. अफसर मो. वगैरह के नाम तथा आ.नं. 32/3ख रकबा 0.405हे. जरिए नामांतरण पंजी क्रमांक 1 दिनांक 22-03-2012 बानो बी बेबा सफी, मंजूर मो. पिता सफी के नाम दर्ज प्रविष्टि को विलोपित कर पूर्ववत म.प्र. शासन किस्म जंगल करने का आदेश पारित किया ।" 4. अतः अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं न पाने के कारण निगरानी अग्राह्य की जाती है । कलेक्टर का आदेश स्थिर (Maintain) रखा जाता है । सदस्य 11. 9. 2018	